विभिन्न उपयोगों के लिए वर्ष 2000 के वास्ते जल की मांग निम्न प्रकार प्राकलित की गई हैं :-

क्र0 सं0	उपयोग	सन् 2000 के लिए निर्धारित जल की मांग बिलियन क्यूबिक मीटर
1.	घरेलू	33
2.	सिंचाई	630
3.	उद्योग	30
4.	ऊर्जा	27
5.	अन्य	30
	कुल	750

भविष्य में जल की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं । इनमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) अपनाना, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वालें बेसिनों को जच का स्थानान्तरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के कुशल और मितव्ययी उपयोग को संवर्धित करने वाली जल प्रबंधन पद्धतियों, विभिन्न पद्धतियों के द्वारा जल संरक्षण पर बल देना जिसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी और विभिन्न उपयोगों के लिए जल के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी शामिल हैं, सितम्बर, 1996 में राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग की स्थापना के साथ-साथ चुनी हुई चल रही प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू करना शामिल हैं ।

जल संसाधन योजनाओं की आयोजना, उन्हे तैयार करना और उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हैं । योजनावधि के आरंभ से उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं । कई छोटे और बड़े बांध शुरू किए गए और इसके फलस्वरूप, योजनावधि के आरंभ होने के समय की 15.64 बी0 सी0 एम0 की कुल भण्डारण क्षमता अब 1995 में बढ़कर 177 बी0 सी0 एम0 हो गई हैं । साथ ही निर्माण के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत बांधों के द्वारा 75 बी0 सी0 एम0 की अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित होगी । इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन/विचाराधीन बांधों से 132 बी0 सी0 एम0 अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित होगी ।

मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सहायता

*228. **श्री राघाकिशन मालवीय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजनाके दौरान खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या हैं,

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए, और

(ग) क्या सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को लाभान्वित करने के लिए नई योजनाएं बनाने का विचार रखती हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) फसलों, बागवानी,वर्षासिंचित कृषि आदि के विकास के लिये विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये मध्य प्रदेश सरकार को 292 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी ।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाना हैं जिसके लाभ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से किसानों को मिलते हैं । आठवीं योजना के दौरान कुछ केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत लाभानुभोगियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लाभानुभोगियों की संख्या
1.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना	1622
2	किसानों का आदान-प्रदान	278
3	कृषक-वैज्ञानिक मेल-जोल	1491
4	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	375326
5	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम	386648
6	अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों के लिए विशेष स्कीम	17589
7	समेकित कृषि प्रबन्ध	8956

(ग) जी, हां । नौवी पंचवर्षीय योजना में मध्या प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में, अनेक केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ।